(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई. एवं
आर्थिक अपराध, इन्दौर (म.प्र.)

First Order Sheet

न्यायालयः जय कुमार जैन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. एवं आर्थिक अपराध) इंदौर, म0प्र0

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature Of Parties or Pleaders where necessary
10-01-2026	राजस्व आसूचना निदेशालय(डी0आर0आई0) इंदौर की ओर से भारत सरकार के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में नियुक्त सीनियर स्टैडिंग काउंसिल प्रसन्ना प्रसाद एवं श्री चंदन एरन विशेष लोक अभियोजक सहित श्री अतुल गोयल आसूचना अधिकारी, रा0आ0नि0 इंदौर झोनल यूनिट द्वारा आरोपी अम्बर भारद्वाज पुत्र श्री सुरेन्द्र भारद्वाज, उम्र–39 वर्ष, निवासी मकान संख्या सी–37ए, वेस्ट ज्योति नगर शाहदरा, गोकुल पुर, नोर्थ ईस्ट दिल्ली 110094 को राजस्व आसूचना निदेशालय आंचलिक इकाई इंदौर के प्रकरण कमांक **DRI/IZU/39-2025/CI/INT-25/ENQ-13** अंतर्गत धारा 132 एवं 135 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में दिनांक 10.01.2026 को समय 01:10 बजे इंदौर से गिरफ्तार कर अभिरक्षा में मय केस डायरी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड 14 दिवस तक प्रदान किए जाने का निवेदन किया। अभियुक्त अम्बर भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता श्री अभिशय जैन द्वारा उपस्थिति मेमो पेश किया गया। उनकी ओर से अभियुक्त की गिरफ्तारी और न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया तथा इसका कारण सूचित किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में भा.ना.सु.सं. की धारा 48, 53 व 58 का पालन किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गयी। अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। डी0आर0आई0 इंदौर द्वारा अन्वेषण पूर्ण न होने से 14 दिवस अर्थात दिनांक–24.01.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड दिए जाने का निवेदन किया गया। केस डायरी के साथ संलग्न चेकलिस्ट से आरोपी के गिरफ्तारी के पर्याप्त समाधानप्रद कारण दर्शित होते हैं। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा अपनी फर्म मेसर्स अंशिका इन्टप्राईजेस द्वारा एल0ई0डी0/एलसीडी टी0व्ही0 के विभिन्न पार्ट्स जैसै डिस्पले पैनल, टीकॉन, पीसीबी इत्यादि को टी0एफ0टी0 एलसीडी पार्ट्स/व्हाईड डिस्पले पैनल के लिए विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से आयात किया गया है जिसके संबंध में भारत सरकार को हुई राजस्व की हानि के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय आंचलिक इकाई इंदौर के द्वारा जांच सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 सहपठित धारा 132 के अंतर्गत की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि उक्त आयातित माल को सी0टी0आई0 में वर्गीकृत कर गलत तरीक से सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 24/2005-Cus. SI. No.	

18 dated 01.03.205 एवं नोटिफिकेशन संख्या 25/2005-Cus. के SI. No. 17 का लाभ लेकर लगभग 4.18 करोड़ रूपये की सीमा शुल्क चोरी किया जाना पाया गया है तथा उक्त चोरी की राशि आगे के अनुसंधान में बढ़ने की पूर्ण संभावना है। उक्त संपूर्ण जांच की कार्यवाही राजस्व आसूचना निदेशालय आंचलिक इकाई इंदौर के द्वारा की जा रही है। उपस्थित विवेचनाधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त द्वारा आयातित माल मुन्द्रा पोर्ट गुजरात और पिछले आयातित माल के संबंध में जांच चल रही है। इस स्तर पर यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की उक्त जांच के संबंध में परिवाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिसके कारण यह आवेदन जांच कार्यवाही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्व आसूचना निदेशालय आंचलिक इकाई इंदौर के द्वारा किए जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 25/2022-Customs(N.T.) दिनांक 31.03.2022 द्वारा संपूर्ण भारत में जांच एवं अन्वेषण करने के लिए सशक्त किया गया है।

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 167/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा प्रदान किए जाने के स्तर पर यह देखा जाना आवश्यक नहीं है कि न्यायालय को अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं, किंतु यदि अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं पाया जाता है तो आगामी अभिरक्षा या अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

केस डायरी के अवलोकन के पश्चात अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत किए जाने के पर्याप्त आधार परिलक्षित होते हैं। अतः राजस्व आसूचना निदेशालय आचंलिक इकाई इंदौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के अधीन स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के संबंध में विनिर्दिष्ट अभिकथन वर्णित करते हुए आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न हो तो आगामी न्यायिक अभिरक्षा एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अभियुक्त को नियत समयावधि में संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। उक्त निर्देश के अधीन अभियुक्त की दिनांक 24.01.2026 तक की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की जाती है।

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जेल वारण्ट के अधीन दिनांक 24.01.2026 तक की अवधि हेतु जिला जेल में निरूद्ध रखने हेतु प्रेषित किया जाए।

चूंकि अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कुछ दवाईयां नियमित रूप से ली जाती हैं अतः दवाईयों के नियमित सेवन हेतु जेल वारण्ट पर पर टीप अंकित की जावे। उक्त निवेदन के आधार पर जारी होने वाले जेल वारण्ट पर यह टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त के द्वारा ली जाने वाली नियमित दवाईयों के सेवन से न रोका जावे।

प्रकरण अभियुक्त की सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में

उपस्थिति/अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु दिनांक 24.01.2026 को प्रस्तुत हो।

सही/–
जय कुमार जैन
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.
आई. एवं आर्थिक अपराध इंदौर
(म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक ...../2025 इन्दौर, दिनांक 10.01.2026

प्रतिलिपि :–

1. श्री अतुल गोयल आसूचना अधिकारी, रा0आ0नि0 इंदौर झोनल यूनिट की ओर अभिलेख हेतु प्रेषित।

10/01/2026

जय कुमार जैन
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.
आई. एवं आर्थिक अपराध इंदौर
(म0प्र0)

(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्टेट, सी.बी.आई. एवं
आर्थिक अपराध, इन्दौर (म.प्र.)